

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पूर्वी सिंहभूम।

आदेश

ग्रामीण विकास विभाग झारखण्ड राँची के अधिसूचना संख्या 1016/अनु0/ग्रा0वि0 PMAY-G-54/2016 राँची, दिनांक 01.03.2017 एवं जिला कार्यालय के ज्ञापांक 652 /जि.ग्रा दिनांक 15.03.2017 के आलोक में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत PMU(Project Management Unit) गठन हेतु संविदा आधारित प्रखण्ड समन्वयक के पद पर निम्न अभ्यर्थी को संविदा पर औपबंधिक रूप से नियुक्त किया जाता है-

पद - प्रखण्ड समन्वयक (Block Cordinator)

क्र. सं.	अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	कोटि	कुल प्रप्तांक	आरक्षण कोटि जिसके विरुद्ध चयनित हुए हैं।	पदस्थापित प्रखण्ड
1	661627525	REBANTA KUMAR GIRI	BC-I	62	General	BAHRAGORA
2	661610291	DHARMENDRA PRASAD	GENERAL	62	General	DHALBHUMGARH

सभी नियुक्त अभ्यर्थी आदेश निर्गत तिथि से 7 दिनों के अंदर जिला कार्यालय में उपस्थित होकर एकरारनामा पर हस्ताक्षर करते हुए, पदस्थापित प्रखण्ड में अपना योगदान देना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित तिथि तक योगदान नहीं करने की स्थिति में ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जाएगी।

कार्य दायित्व :-

1. प्रखण्ड अंतर्गत सभी गाँवों में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण से संबंधित कार्यों का निष्पादन प्रति दिन ससमय करना सुनिश्चित करेंगे।
2. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण से संबंधित सभी प्रकार के कार्य प्रखण्ड/जिला एवं राज्य से समन्वय स्थापित करते हुए करना सुनिश्चित करेंगे।
3. वरीय पदाधिकारी द्वारा समय-समय पर दिये गये विहित-प्रपत्र में प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण से संबंधित प्रतिवेदन देना सुनिश्चित करेंगे।
4. PMAY-G से संबंधित सभी प्रकार की Entry AwaasSoft में निर्देशानुसार अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

उपयुक्त कर्मी पर निम्नलिखित शर्तें बाध्यकारी होंगी :

1. ये नियुक्ति पूर्णतः संविदा आधारित है। संविदा पर नियुक्त सभी कर्मियों को नियमित रूप से नियुक्त करने का सरकार का कोई दायित्व नहीं होगा।
2. संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित संविदा राशि अनुमान्य होगा।
3. प्रारंभिक चरण में ये नियुक्ति एक वर्ष के लिए की जा रही है, जो नियुक्त अभ्यर्थियों के योगदान की तिथि से प्रभावी होगी। इस कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व पद विशेष पर नियुक्ति के लिये गठित नियुक्ति समिति के द्वारा उनके कार्यों की समीक्षा की जाएगी। कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर अगले वित्तीय वर्ष के लिये संविदा के आधार पर नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा। तत्पश्चात राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर लिये गये निर्णय के अनुरूप यदि उनके सेवाओं की आवश्यकता बनी रहेगी तो नियुक्ति समिति द्वारा कार्य की समीक्षा के पश्चात् उपयुक्त पाये जाने पर वार्षिक रूप से ऐसी नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा।

4. संविदा के आधार पर नियुक्ति का नवीकरण नहीं होने पर ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
5. कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर अथवा अनुशासनहीनता प्रमाणित होने की स्थिति में अद्योहस्ताक्षरी को संविदा अवधि में भी कार्यमुक्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
6. यदि कोई कार्यरत कर्मी ऐसी नियुक्ति से स्वतः मुक्त होना चाहेगा तो उसे अपने नियंत्रण पदाधिकारी के माध्यम से नियुक्त पदाधिकारी को इसकी लिखित सूचना एक माह पूर्व देनी होगी या एक माह की परिलब्धि जमा करनी होगी। इसके विपरित यदि नियुक्त पदाधिकारी को ऐसे कार्यरत कर्मी की सेवा की आवश्यकता नहीं होगी तो उसे एक माह की लिखित सूचना या एक माह की परिलब्धि देकर कार्यरत कर्मी की सेवा समाप्त कर सकेंगे।
परंतु कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर अथवा अनुशासनहीनता प्रमाणित होने पर ऐसे कार्यरत कर्मी की सेवा नियुक्त पदाधिकारी के द्वारा कभी भी समाप्त की जा सकेगी।
7. नियुक्त कर्मी के कार्यों की वार्षिक समीक्षा नियुक्त पदाधिकारी द्वारा की जायेगी एवं आवश्यकता पाये जाने पर पदस्थापना स्थल में परिवर्तन किया जा सकेगा।
8. संविदा के आधार पर रखे गये कर्मी की सेवा कभी भी बिना कारण बताये हुए समाप्त की जा सकती है।
9. नियुक्त कर्मी को केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर पारित आदेशों, निर्देशों आदि का पालन बाध्यकारी होगा।
10. नियुक्त कर्मियों के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। जिसकी अवधि एवं स्थल का निर्धारण राज्य सरकार या नियुक्त/ नियंत्री पदाधिकारी द्वारा पृथक आदेश द्वारा किया जायेगा। सभी चयनित कर्मियों के लिए ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

६०/

उप विकास आयुक्त
पूर्वी सिंहभूम।

ज्ञापांक- /जि.ग्रा. दिनांक-
प्रतिलिपि :- चयनित अभ्यर्थी श्री/श्रीमती/सुश्रीको सूचनार्थ एवं आदेश निर्गत तिथि से 7 दिनों के अंदर जिला कार्यालय में उपस्थित होकर एकरारनामा पर हस्ताक्षर करते हुए, पदस्थापित प्रखण्ड में अपना योगदान देना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित तिथि तक योगदान नहीं करने पर आपकी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

६०/

उप विकास आयुक्त,
पूर्वी सिंहभूम।

ज्ञापांक- 2183 /जि.ग्रा. दिनांक- 26/9/12

प्रतिलिपि :- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बहरागोड़ा/ धालभूमगढ़ को आदेश दिया जाता है कि आवंटित प्रखण्ड में चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की भली भांति जांचोपरांत उनका योगदान स्वीकृत करेंगे। योगदान स्वीकृत संबंधी प्रतिवेदन इस कार्यालय को निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को सूचनार्थ प्रेषित। उन्हें निदेश दिया जाता है कि इस आदेश को जिला के वेबसाइट www.jamshedpur.nic.in पर अविलम्ब अपलोड करें।

२६/९

उप विकास आयुक्त,
पूर्वी सिंहभूम।